THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAM): (a) State Bank of India (SBI) have reported that they do not appeared to have received any representation from persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes (SCs/STs) about not receiving loans from their branches in West Godavari District.

(b) SBI have also reported that none of their branches are following any discriminatory policies towards SCs/STs applicants.

(c) Does not arise in view of (b) above.

(d) and (e) SBI have further reported that they regularly interact with representatives of agencies sponsoring loan applications of SCs/STs borrowers.

विदेशी मुद्रा भंडार में मुद्राएं

2987. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय विदेशी मुद्रा भंडार में किन-किन देशों की मुद्राएं उपलब्ध हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस भंडार में से कितनी राशि का निवेश किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस भंडार का उत्पादन-कार्यों में उपयोग न किए जाने के कारण कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से उन प्रमुख देशों की परिवर्तनीय दुर्लभ-मुद्राएं शामिल हैं जहां बाजार सुव्यवास्थित और प्रवाहपूर्ण है।

(ख) सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों को विदेशों में निवेशित किया जाता है। विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों के निवेश का पैटर्न अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, व्यापार चक्र और चलनिधि की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि परिसम्पत्तियों का पूल, जिनका उपयोग आकस्मिकता की स्थिति में किया जा सकता है, बनाए रखने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डार रखे जाते हैं। प्रारक्षित भण्डारों की मौजूदगी विश्वास उत्पन्न करती है, विदेशी ऋण लेने को सुविधाजनक बनाती है तथा भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक एककों के लिए "करावकाश" सुविधा प्रदान किया जाना

2988. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों (उत्तरांचल) में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 80(1)(ए) के अंतर्गत "करावकाश" सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया था;

(ख) क्या भारत सरकार के वित्त सचिव ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को 16 अगस्त, 1993 को सूचित किया था; और

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक प्रदान की जाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनन): (क) आयकर अधिनियम में अधिनियम की धारा 80-1क के अंतर्गत, देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को कर अवकाश की व्यवस्था की गई है। वित्त अधिनियम, 1994 में सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित नए औद्योगिक उपक्रमों को पांच वर्षीय कर अवकाश प्रदान करके धारा के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया है, यदि नए औद्योगिक उपक्रम, 1.10.94 को अथवा इसके बाद किन्तु 1.4.99 से पहले वस्तुओं अथवा सामग्रियों का निर्माण, उत्पादन अथवा शीत भण्डार का प्रचालन करते हों। 1998 के वित्त (संख्या-2) विधेयक में ऐसे मामलों की तारीख 31.3.2000 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए जारी की गई अधिसूचना का०आ० 714 (अ) दिनांक 7 अक्तूबर, 1997 में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिले (उत्तरांचल) चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल, शामिल किए गए हैं। नैनीताल और देहरादून जिलों का पता औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में नहीं लगाया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से प्राप्त संदर्भ पर 19 अगस्त, 1993 को वित्त मंत्री द्वारा एक उत्तर भेजा गया था, जिसमें यह बताया गया था कि अध्ययन दल की रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लाभ पर विचार किया जाएगा।